

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग


क्रमांक प. 6(1)पपा/2015

जयपुर, दिनांक: 23 SEP 2016

आदेश


इस विभाग के आदेश क्रमांक प.2(13)पपा/2000 दिनांक 08.07.2003 को निरस्त करते हुए राजस्थान राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में खोले जाने वाले दो वर्षीय पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थाओं में पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की वार्षिक प्रवेश फीस रु. 28,500/- से बढ़ाकर रु. 40,000/- (रु. चालीस हजार मात्र) प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। यह वार्षिक फीस तीन किश्तों की बजाय एक किश्त में लेने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

निर्धारित शुल्क ग्रबन्धक सीटों सहित समस्त सीटों के लिए मान्य होगा।


(एन०एल०गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, कुलपति, राजूवास बीकानेर।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान पशुचिकित्सा परिषद, जयपुर।
6. निजी क्षेत्र में स्थापित समस्त संस्था अध्यक्ष.....।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव